पटना उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1958 के एल.पी.ए. संख्या 3

निर्णय लिया गयाः 03.04.1958

याचिकाकर्ताओंः **रामजी सिंह**

बनाम

उत्तरदाताः छुलघाना कुवर और अन्य

पटना उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट-खंड 10-भारत सरकार अधिनियम, 1915-- धारा 108-- पटना उच्च न्यायालय नियमावली-नियम 2, अध्याय 7-विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या कानून में किसी विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एल. पी. ए. दायर करने का अधिकार मौजूद है और क्या एल. पी. ए. दाखिल करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है-- अभिनिर्धारित किया गयाः-- खंड 10 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अपवादों के अलावा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से अन्य मामलों में लेटर्स पेटेंट बेंच में अपील करने का अधिकार है-इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तय की गई पहली अपील के मामले में लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है-यह अपील अधिकार के मामले के रूप में निहित है और ऐसी अपील प्रस्तुत करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश जिसने पहली अपील का निर्णय लिया है, कि अनुमति आवश्यक नहीं है। है-हालाँकि, ऐसी अपील अध्याय 7 के नियम 2 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन-में होनी चाहिए और निबंधक के संतुष्ट होने के बाद है कि अपील क्रम में है और समय के भीतर है, इसे प्रवेश हेतु आदेशों के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा।(पैरा 1,5,7)

ए. आई. आर. 1940 नाग 39 (ए), ए. आई. आर. 1937 सभी 165 (बी)।

पटना उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1958 के एल.पी.ए. संख्या 3

निर्णय लिया गयाः 03.04.1958

याचिकाकर्ताओंः **रामजी सिंह**

बनाम

उत्तरदाताः **छुलघाना कुवर और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

वैद्यनाथिर रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश, जमुआर और आर. के. चौधरी, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः कैलाश राय और बी.के. शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः सरकारी अधिवक्ता और रघुनाथ झा, अधिवक्ता।

निर्णय

1. यह प्रत्यर्थी द्वारा 1949 की प्रथम अपील संख्या 134 में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 11-12-1957 के फैसले के खिलाफ प्रस्तुत अपील का एक ज्ञापन है। उस निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया और सामान्य शर्तों पर अपीलार्थियों को प्रशासन के पत्र देने के लिए मामले को नीचे की अदालत में वापस भेज दिया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उनके मुवक्किल को एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का कानूनी अधिकार है और अपील दायर

करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। श्री रघुनाथ झा ने मेरी ओर से उत्तरदाताओं की ओर से विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील करने का कोई अधिकार नहीं है; और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान एकल ने अपीलार्थी को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, अपीलार्थी के लिए एल.पी.ए. दायर करने के लिए सक्षम नहीं है।

2. इस मुद्दे पर प्रश्न पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के उचित निर्माण पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

> “10. और हम यह भी आदेश देते है कि एक अपील पटना में उक्त उच्च न्यायालय में की जाएगी, जो कि किसी डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में पारित निर्णय नही है। उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश नही है और प्रावधानों के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया वाक्य या आदेश नही है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 या उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश के आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसरा में और इससे पहले किसी भी बात के बावजूद एक सरकार की धारा 108 के अनुसार, उक्त न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी खंड पीठ के एक न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील उक्त उच्च न्यायालय में की जाएगी। भारत अधिनियम, फरवरी के पहले दिन या उसके बाद बनाया गया, एक हजार नौ सौ उनतीस, उक्त उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, जहां निर्णय पारित

करने वाला न्यायाधीश घोषणा करता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है; लेकिन यह कि उक्त उच्च न्यायालय या ऐसे खंड न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य निर्णयों से अपील करने का अधिकार हमारे लिए होगा, हमारे या उनकी प्रिवी काउंसिल में हमारे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।"

3. इस संबंध में भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

"108.(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने स्वयं के नियमों द्वारा, एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा, या उच्च न्यायालय के दो से अधिक न्यायाधीशों द्वारा गठित 193 न्यायालयों द्वारा, न्यायालय में निहित मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए जो उचित समझे, वह प्रदान कर सकता है।

(2) प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक मामले में कौन से न्यायाधीश को अकेले बैठना है, और न्यायालय के कौन से न्यायाधीश, चाहे वे मुख्य न्यायाधीश के साथ हों या उनके बिना, कई खंड न्यायालयों का गठन करेंगे।"

4. भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 223 में और अब संविधान के अनुच्छेद 225 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैः

"225. इस संविधान के प्रावधानों और इस संविधान द्वारा उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उपयुक्त विधानमंडल की किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी मौजूदा उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि और न्यायालय में न्याय के प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों

की संबंधित शक्तियां, जिसमें न्यायालय के नियम बनाने और अकेले या खंड न्यायालयों में बैठने वाले न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों को विनियमित करने की कोई शक्ति शामिल है, वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले थीं।

बशर्ते कि कोई भी प्रतिबंध जिसके लिए किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व से संबंधित किसी मामले के संबंध में या उसके संग्रह में आदेशित या किए गए किसी कार्य से संबंधित मूल अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले के अधीन था, अब ऐसी अधिकारिता के प्रयोग पर लागू नहीं होगा।"

5. हमारी राय में, इस उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी भी प्रभाग न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय से अपील करने का अधिकार है, और केवल अपवाद उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन अदालत द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किए गए निर्णय हैं और भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 के तहत या आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र या सजा या आदेशों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश भी हैं। इन अपवादों के अलावा, जिनका खंड 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से अन्य मामलों में लेटर्स पेटेंट बेंच में अपील करने का अधिकार है। यदि यह लेटर्स पेटेंट के खंड 10 पर रखी जाने वाली सही व्याख्या है, तो यह इस प्रकार है कि इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तय की गई पहली अपील के मामले में लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यह अपील अधिकार के मामले के रूप में निहित है और विद्वान एकल

न्यायाधीश की कोई अनुमति नहीं है जिन्होंने निर्णय लिया कि ऐसी अपील प्रस्तुत करने के लिए पहली अपील आवश्यक है। लेटर पेटेंट के खंड 10 की व्याख्या पर हमने जो विचार व्यक्त किया है, वह नागपुर उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है, जिसमें मधुकर त्र्यंबकलाल बनाम सकोरी के श्री सती गोदावरी उपासनी महाराज, एम.ए.एन.यू./एन.ए./0008/1939:ए.आई.आर. 1940 नाग 39 (ए) और राम सरूप बनाम कनीज उम्बेहानी मनु/यू. पी./0056/1936 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा भीःआईएलआर 1937 सभी 386:ए.आई.आर. 1937 ऑल 165 (बी)।

6. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहली अपील का फैसला करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले से दायर सभी अपीलों को स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। इस संबंध में प्रासंगिक नियम अध्याय VII का नियम 2 है। .31 पर पटना उच्च न्यायालय के नियमों का, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

“2 (1) संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी खंड न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय से पत्र पेटेंट के खंड 10 के तहत उच्च न्यायालय में प्रत्येक अपील (जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णय नहीं है और जो पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है, और जो दंडात्मक अधिकारिता के प्रयोग में पारित या बनाया गया आदेश या सजा नहीं है), उस निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जब तक कि कोई पीठ अपने विवेक से, अच्छे कारण पर अपील नहीं करती है। निबंधक ज्ञापन प्रस्तुत करने की तिथि का समर्थन करेगा और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि अपील क्रम में है और समय के भीतर है, इसे जल्द से जल्द आदेश के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ उस निर्णय की प्रति की आवश्यकता नहीं है

जिसके खिलाफ अपील की गई है, लेकिन यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो अपीलकर्ता अपील स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर न्यायालय के उपयोग के लिए निर्णय की एक टंकन की गई प्रति दाखिल करेगा।

x x x xxx

7. इस नियम में यह प्रावधान है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उच्च न्यायालय में प्रत्येक अपील को अपील किए गए फैसले की तारीख से तीस दिनों के भीतर निबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा, जब तक कि अदालत अपने विवेक से, अच्छे कारण पर, आगे का समय नहीं देगी। इसके बाद निबंधक ज्ञापन प्रस्तुत करने की तिथि का समर्थन करेगा और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि अपील क्रम में है और समय के भीतर है, इसे जल्द से जल्द आदेश के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा। यदि और जब अपील स्वीकार की जाती है तो इस नियम के तहत अपीलार्थी को अदालत के उपयोग के लिए अपील किए गए फैसले की एक टंकण की गई प्रति दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, वर्तमान मामले में, अध्याय VII के नियम 2 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए; और निबंधक के संतुष्ट होने के बाद कि अपील क्रम में है और समय के भीतर है, इसे जल्द से जल्द प्रवेश के संबंध में आदेशों के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा।

खण्डन(डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।